रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 37] नई दिल्ली, सितम्बर 5—सितम्बर 11, 2010, शनिवार/भाद्र 14—भाद्र 20, 1932
No. 37] NEW DELHI, SEPTEMBER 5—SEPTEMBER 11, 2010, SATURDAY/BHADRA 14—BHADRA 20, 1932

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2010

सा.का.नि. 145.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, सहायक निदेशक (विधि एकक) और विधि सहायक भर्ती नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभः**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, सहायक निदेशक (विधि एकक) और विधि सहायक भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, सहायक निदेशक (विधि एकक) और विधि सहायक भर्ती नियम, 1985 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

(11)	(12)
Direct recruitment : **Note : 1.** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government :— (a) (i)—holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay scale of Rs. 5200—20200, (PB-I), Grade Pay of Rs. 2800 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column (8). **Note : 2**—The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable

(13)	(14)
Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering confirmation) consisting of :— (i) Director (Administration), Directorate of Extension —Chairman (ii) Director (Farm Information), Directorate of Extension —Member (iii) Under Secretary (Extension), Department of Agriculture and Cooperation —Member (iv) Deputy Director (Administration), Directorate of Extension —Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 01-01/2004-Extension (Vol.)]

R. S. VERMA, Under Secy. (Extension)

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2010

सा.का.नि. 148.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2010 कही जाएगी ।

(2) यह सरकारी राजपत्रों में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में पैरा (83) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'83. अंतर्राष्ट्रीय कर्मकारों के संबंध में विशेष उपबंध-यह स्कीम, इस पैरा में यथापरिभाषित अंतर्राष्ट्रीय कर्मकारों पर लागू होने में, निम्नलिखित उपांतरणों के अध्यधीन होगी, अर्थात्' :-

(1) पैरा 2 के खण्ड (च) के लिए, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(च) "अपवर्जित कर्मचारी" से ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कर्मकार अभिप्रेत है जो अपने मूल देश के, जिसके साथ भारत ने पारस्परिकता के आधार पर कोई सामाजिक सुरक्षा करार किया है, किसी सामाजिक सुरक्षा कार्य करने नागरिक या निवासी के रूप में योगदान दे रहा है और ऐसी अवधि और निबंधनों के लिए, जो ऐसे किसी करार में विनिर्दिष्ट किए गए हों, वियोजित कर्मकार की प्रास्थिति का उपभोग कर रहा है ;

(2) पैरा 2 के खण्ड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

(ज क) "अंतर्राष्ट्रीय कर्मकार" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,–

(क) ऐसा कोई भारतीय कर्मचारी, जिसने किसी ऐसे विदेश में, जिसके साथ भारत ने सामाजिक सुरक्षा करार किया है, कार्य किया है या जो कार्य करने जा रहा है और जो उक्त करार के अधीन प्राप्त या प्राप्त की जाने वाली पात्रता के आधार पर उस देश के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अधीन फायदों का उपभोग करने के लिए पात्र है;

(ख) भारत में किसी स्थापन, में जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, कार्यरत भारतीय कर्मचारी से भिन्न कोई कर्मचारी जो भारतीय पासपोर्ट से भिन्न कोई पासपोर्ट धारित करता है;

3. पैरा 26, 26क और 26ख के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :–

26. अंतर्राष्ट्रीय कामगारों की श्रेणी जो निधि से जुड़ने के लिए हकदार और अपेक्षित है–

(1) (क) किसी ऐसे स्थापन, जिस पर यह योजना लागू होती है, में 1 अक्तूबर, 2008 की स्थिति के अनुसार नियोजित प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय कर्मकार (किसी अपवर्जित कर्मचारी से भिन्न), 1 नवम्बर, 2008 से निधि का सदस्य बनने के लिए हकदार और अपेक्षित होगा ।

(2) किसी ऐसे स्थापन, जिस पर यह योजना लागू होती है, में 1 अक्तूबर, 2008 की स्थिति के अनुसार नियोजित प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय कर्मकार (किसी अपवर्जित कर्मचारी से भिन्न), जो पहले से ही सदस्य न रहा हो उस स्थापना में अपना कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से निधि का सदस्य बनने के लिए हकदार और अपेक्षित होगा ।

(3) जहां यह योजना, उक्त अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत छूट के किसी आदेश के समाप्त या रद्द होने पर किसी स्थापना पर लागू होती है, वहां ऐसा प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय कर्मकार, जो छूट के कारण निधि का सदस्य बना हो और उस रूप में बना रहा हो, तुरन्त निधि का सदस्य हो जाएगा ।

(4) ऐसी किसी स्थापना, जिस पर यह योजना लागू होती है, का कोई अपवर्जित कर्मचारी, ऐसे कर्मचारी न रहने पर, ऐसा कर्मचारी न रहने की तारीख से निधि का सदस्य हो जाएगा ।

(5) निधि में सम्मिलित होने के लिए पैरा 27-क के अधीन छूट प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय कर्मकारों की किसी श्रेणी के पुनः निर्वाचन पर या उस पैरा के अधीन किसी आदेश की समाप्ति या उसके रद्दकरण पर ऐसा प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय कर्मकार, जो ऐसी छूट के कारण निधि का सदस्य बना हो और उस रूप में बना रहा हो, तुरन्त निधि का सदस्य हो जाएगा ।

(6) ऐसा प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय कर्मकार, जो किसी ऐसी छूट प्राप्त स्थापना के संबंध में बनायी गयी प्राइवेट भविष्य निधि का सदस्य है और जो ऐसी छूट के कारण निधि का सदस्य बना हो और उस रूप में बना रहा हो, ऐसे किसी स्थापन, जिस पर यह योजना लागू होती है, में कार्यग्रहण करने पर, तुरन्त निधि का सदस्य हो जाएगा ।

26क. **सदस्यता का बना रहना.**–निधि का कोई सदस्य, निधि में अपने खाते में जमा राशि को पैरा 69 के अधीन वापिस लेने या अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत छूट की किसी अधिसूचना या पैरा 27 या पैरा 27क के अधीन छूट के किसी आदेश के अंतर्गत आने या फायदों का भारत और उसके मूल के देश के बीच किए गए सामाजिक सुरक्षा करार के अधीन सुसंगत उपबंधों के निबंधनानुसार निपटारा किए जाने तक सदस्य के रूप में बना रहेगा ।

26ख. **शंकाओं का निराकरण**–यदि इस बारे में कि क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय कर्मकार सदस्य बनने या उस रूप में बने रहने का हकदार या उसके लिए अपेक्षित है या उस तारीख के बारे में जिससे वह सदस्य बनने के लिए हकदार या अपेक्षित है, कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उस पर क्षेत्रीय आयुक्त का विनिश्चय अंतिम होगा :

परन्तु कोई भी विनिश्चय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक नियोजक और अंतर्राष्ट्रीय कर्मकार दोनों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो ।"

4. पैरा 29 में, उप-पैरा (1) में, बिन्दुओं के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :–

आगे यह प्रावधान किया गया कि जहां मजदूरी का भुगतान भारतीय रुपए के अलावा अन्य किसी मुद्रा में किया जाता है वहां उस मुद्रा के विनिमय की दर उस माह, जिसके लिए मजदूरी देय है, के अंतिम कार्य दिवस को ऐसी मुद्रा के क्रय हेतु भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अंतर्गत स्थापित भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रस्तावित टैलिग्राफिक अंतरण क्रय दर होगी ।

5. पैराग्राफ 36 के लिए निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

36. **नियोक्ता के कर्त्तव्य.**–(1) किसी प्रतिष्ठान का प्रत्येक नियोक्ता जिस पर यह स्कीम लागू होती है आयुक्त को इस योजना के ऐसे प्रतिष्ठान पर लागू होने के 15 दिनों के भीतर ऐसे फॉर्म में जो कि आयुक्त विनिर्दिष्ट करें, निधि के सदस्य बनने हेतु अपेक्षित अथवा पात्र

अंतर्राष्ट्रीय कामगारों (प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय कामगार की राष्ट्रीयता को विशेषरूप से इंगित करते हुए) एक समेकित विवरणी भेजेगा जिसमें मूल वेतन, प्रतिधारण भत्ता (यदि कोई हो) और ऐसे प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय कामगार को दी गई खाद्य रियायत की नकद कीमत सहित महंगाई भत्ता दर्शाया गया हो :

परन्तु यह कि यदि ऐसा कोई अंर्राष्ट्रीय कामगार न हो जो इस निधि का सदस्य बनना अपेक्षित हो अथवा हकदार हो, तो नियोक्ता 'शून्य' विवरणी भेजेगा ।

(2) प्रत्येक नियोक्ता हर एक महीने के समाप्त होने के 15 दिन के भीतर आयुक्त को–

(क) फॉर्म 5 में, पूर्ववर्ती माह के दौरान पहली बार इस निधि का सदस्य बनने के लिए अर्हता पाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कामगारों की ऐसे अर्हता वाले अंतर्राष्ट्रीय कामगारों द्वारा प्रस्तुत की गई फार्म 2 में उदघोषणा सहित (ऐसे प्रत्येक राष्ट्रीय कामगार की राष्ट्रीयता विशेषरूप से इंगित करते हुए) एक विवरणी भेजेगा, और

(ख) ऐसे फॉर्म में जो आयुक्त विनिर्दिष्ट करें, पूर्ववर्ती माह के दौरान नियोक्ता की सेवा छोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय कामगारों (ऐसे प्रत्येक राष्ट्रीय कामगार की राष्ट्रीयता विशेषरूप से इंगित करते हुए) एक विवरणी भेजेगा :

परन्तु यह कि यदि पूर्ववर्ती माह के दौरान पहली बार निधि का सदस्य बनने की अर्हता पाने वाला कोई अंतर्राष्ट्रीय कामगार न हो अथवा नियोक्ता की सेवा छोड़ने वाला कोई अंतर्राष्ट्रीय कामगार न हो तो नियोक्ता 'शून्य' विवरणी भेजेगा ।

6. पैराग्राफ 69 के लिए निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

69. वे परिस्थितियां जिनमें किसी अंतर्राष्ट्रीय कामगार को निधि में संचयी धन राशि देश होंगी–

(1) कोई अंतर्राष्ट्रीय कामगार निधि में उसके खाते में जमा पूर्ण धनराशि को निकाल सकता है–

(क) 58 वर्ष की आयु का हो जाने के उपरांत किसी भी समय प्रतिष्ठान सेवा से निवृत्त हो जाने पर;

(ख) प्रतिष्ठान के चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित अथवा जहां प्रतिष्ठान में कोई नियमित चिकित्सा अधिकारी न हो, तो प्रतिष्ठान द्वारा पदनामित पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा प्रमाणित शारीरिक अथवा मानसिक कमजोरी के कारण काम करने में स्थायी और पूर्णतः अक्षम होने के कारण सेवा निवृत्त हो जाने पर :

परन्तु यह कि–

(i) जहां कोई प्रतिष्ठान बंद हो चुका हो, तो किसी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी का प्रमाण-पत्र स्वीकार कर लिया जाए;

(ii) जहां प्रतिष्ठान कर्मचारी राज्य बीमा योजना द्वारा कवर किया गया हो, तो जिस कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय से कर्मचारी संबद्ध हो उस के चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण-पत्र अथवा योजना के अंतर्गत जिस बीमा चिकित्सा प्राधिकारी के पास कर्मचारी पंजीकृत हो उसका प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाए;

(iii) जहां नियोक्ताओं और कर्मचारियों के आपसी सहमती से किसी प्रतिष्ठान अथवा प्रतिष्ठानों के किसी समूह के लिए कोई चिकित्सा बोर्ड मौजूद हो, तो ऐसे चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र भी इस उप-पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ स्वीकार कर लिया जाए ।

(2) जहां किसी सदस्य द्वारा उप-पैराग्राफ (1) खण्ड (ख) के अंतर्गत प्रस्तुत मूल प्रमाण-पत्र, इसके असली होने से संबंधित कोई संदेह उत्पन्न करें, तो क्षेत्रीय आयुक्त किसी सदस्य से उनकी ओर से कार्य कर रहे किसी सिविल सर्जन अथवा किसी डाक्टर से एक ताजा प्रमाण-पत्र लाने की मांग कर सकते हैं;

परन्तु यह कि उनकी ओर से कार्य कर रहे सिविल सर्जन अथवा किसी डाक्टर का समूचा शुल्क निधि में से अदा किया जाएगा यदि उनकी ओर से कार्य कर रहे सिविल सर्जन अथवा किसी डाक्टर के निष्कर्ष मूल प्रमाण-पत्र से मेल खाते हों, यह कि जहां उनकी ओर से कार्य कर रहा ऐसा डाक्टर मूल प्रमाण-पत्र से सहमत हो, और यह कि जहां ऐसे निष्कर्ष मूल प्रमाण-पत्र से मेल नहीं खाते हों, तो निधि में से केवल आधा शुल्क ही अदा किया जाएगा तथा शेष बचा आधा सदस्य के खाते के नामे डाला जाएगा ।

(3) तपेदिक अथवा कुष्ठ रोग (अथवा कैंसर) से ग्रस्त किसी सदस्य को, चाहे वह बीमारी के आधार पर किसी प्रतिष्ठान की सेवा छोड़ने के उपरांत ही ग्रस्त क्यों न हुआ हो, परन्तु भुगतान प्राधिकृत किए जाने से पूर्व ग्रस्त हुआ हो, कार्य करने के लिए स्थायी रूप से और पूर्णतः अक्षम माना जाएगा ।

(4) भारत सरकार अथवा किसी अन्य देश के बीच हुए किसी सामाजिक सुरक्षा समझौते के अंतर्गत कवर किए गए किसी सदस्य के संबंध में ऐसे आधारों पर जो उस समझौते में विनिर्दिष्ट किए गए हों ।

7. पैराग्राफ 72 के लिए निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

72. भविष्य निधि का भुगतान–

(1) जब किसी सदस्य के खाते में जमा धनराशि देय हो जाए, तो योजना में किए गए प्रावधान के अनुसार उसका तत्काल भुगतान करना आयुक्त का कर्तव्य होगा ।

(2) भारत सरकार और किसी अन्य देश के बीच हुए किसी सामाजिक सुरक्षा समझौते के अंतर्गत कवर किए गए किसी सदस्य को धनराशि उस समझौते में विनिर्दिष्ट ढंग और शर्तों के अनुसार देय होगी ।

(3) अन्य सभी मामलों में देय धनराशि, प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी ।

8. पैराग्राफ 78 के लिए निम्नलिखित पैराग्राफ जोड़ दिया जाए, अर्थात् :–

78क. सामाजिक सुरक्षा समझौतों के अंतर्गत कुछ विशेष कार्य निष्पादित करना–

भारत सरकार और किसी अन्य देश के बीच हुए किसी सामाजिक सुरक्षा समझौते के अंतर्गत आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को सौंपे गये ऐसे सभी कार्य समझौते में विनिर्दिष्ट ढंग से और शर्तों के अनुसार निष्पादित करेंगे ।

[फा. सं. आर-11011/1/2007-एसएस-II (खण्ड-II)]

एस. के. देव वर्मन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 सा.का.नि. संख्या 1506, दिनांक 2 सितम्बर, 1952 द्वारा भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित की गई थी और यह योजना अंतिम बार सा.का.नि. 451(अ) दिनांक 29-6-2009 द्वारा आशोधित की गई थी ।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 3rd September, 2010

G.S.R. 148.—In exercise of the powers conferred by Section 5, read with sub-section, (l) of Section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme, further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely :—

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Provident Funds (Amendment) Scheme, 2010.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 for paragraph 83, the following paragraph shall be substituted, namely :—

83. Special provision in respect of International Workers.—The Scheme, shall, in its application to International Workers as defined in this paragraph, be subject to the following modifications, namely :—

(1) For clause (f) of paragraph 2, the following clause shall be substituted, namely :—

(f) "excluded employee" means an International Worker, who is contributing to a social security, programme of his country of origin, either as a citizen or resident, with whom India has entered into a social security agreement on reciprocity basis and enjoying the status of detached worker for the period and terms, as specified in such an agreement;

(2) After clause (j) of paragraph 2, the following clause shall be substituted, namely :—

(ja) "International Worker" means,—

(a) an Indian employee having worked or going to work in a foreign country with which India has entered into a social security agreement and being eligible to avail the benefits under a social security programme of that country, by virtue of the eligibility gained or going to gain, under the said agreement;

(b) an employee other than an Indian employee, holding other than an Indian passport, working for an establishment in India to which the Act applies;

3. For paragraphs 26, 26A and 26B, the following paragraphs shall be substituted, namely :—

26. Class of International Workers entitled and required to join the Fund.—

(1)(a) Every International Worker (other than an excluded employee), employed as on 1st day of October, 2008, in an establishment to which this Scheme applies, shall be entitled and required to become a member of the Fund with effect from the 1st day of November, 2008.

(2) Every International Worker (other than an excluded employee), employed after the 1st day of October, 2008 in an establishment to which this Scheme applies, who has not become a member already shall be entitled and required to become a member of the Fund from the date of his joining the establishment.

(3) Where the Scheme applies to an establishment on the expiry or cancellation of an order of exemption under section 17 of the Act, every International Worker who, but for the exemption would have become and continued as a member of the Fund shall become a member of the Fund forthwith.

(4) An excluded employee of an establishment to which this scheme applies shall, on ceasing to be such an employee, be entitled and required to become a member of the Fund from the date he ceases to be such employee.

(5) On re-election of a class of International Workers exempted under paragraph 27 A to join the Fund or on the expiry or cancellation of an order under that paragraph, every International Worker, who but for such exemption would have become and continued as a member of the Fund, shall forthwith become a member thereof.

(6) Every International Worker who is a member of a private provident fund maintained in respect of an exempted establishment and who, but for the exemption, would have become and continued as a member of the Fund shall, on joining an establishment to which this Scheme applies, become a member of the Fund forthwith.

26A. Retention of membership.—A member of the Fund shall continue to be a member until he withdraws under paragraph 69 the amount standing to his credit in the Fund or is covered by a notification of exemption under section 17 of the Act or an order of exemption under paragraph 27 or 27 A or the benefits are settled in terms of the relevant provisions under the social security agreement entered into between India and his country of origin.

26B. Resolution of doubts.—If any question arises as to whether an International Worker is entitled or required to become or continue as member, or as to the date from which he is entitled or required to become a member, the decision thereon of the Regional Commissioner shall be final :

Provided that no decision shall be given unless both the employer and the International Worker have been given an opportunity of being heard.

4. In paragraph 29, in sub-paragraph (1), after the points, the following proviso shall be inserted, namely :—

Provided further that where wages are paid in a currency other than in the Indian Rupee, the rate of conversion of that currency shall be the telegraphic transfer buying rate offered by the State Bank of India established under the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955) for buying such currency on the last working of the month for which the wages are due.

5. For paragraph 36, the following paragraph shall be substituted, namely :—

36. Duties of employer.—(1) Every employer of an establishment to which this Scheme applies shall send to the Commissioner within fifteen days from the application of the Scheme to such establishment, a consolidated return in such form as the Commissioner may specify, of the International Workers (indicating distinctly the nationality of each and every International Worker) required or entitled to become members of the Fund showing the basic wage, retaining allowance (if any) and dearness allowance including the cash value of any food concession paid to each of such International Worker :

Provided that if there is no International Worker who is required or entitled to become a member of the Fund, the employer shall send a 'NIL' return.

(2) Every employer shall send to the Commissioner, within fifteen days of the close of each month, a return

(a) in Form 5, of the International Workers qualifying to become members of the Fund for the first time during the preceding month together with the declarations in Form 2 furnished by such qualifying International Workers (indicating distinctly the nationality of each and every International Worker), and

(b) in such form as the Commissioner may specify, of the International Workers (indicating distinctly the nationality of each and every International Worker) leaving service of the employer during the preceding month :

Provided that if there is no International Worker qualifying to become a member of the Fund for the first time or there is no International Worker leaving service of the employer during the preceding month, the employer shall send a 'NIL' return.

6. For paragraph 69, the following paragraph shall be substituted, namely :—

69. Circumstances in which accumulations in the Fund are payable to an International Worker.—

(1) An International Worker may withdraw the full amount standing to his credit in the Fund—

(a) on retirement from service in the establishment at any time after the attainment of 58 years;

(b) on retirement on account of permanent and total in capacity for work due to bodily or mental infirmity duly certified by the medical officer of the establishment, or where an establishment has no regular medical officer, by a registered medical practitioner designated by the establishment :

Provided that—

(i) where an establishment has been closed, the certificate of any registered medical practitioner may be accepted;

(ii) where the establishment is covered by the Employees' State Insurance Scheme, medical certificate from a medical officer of the Employees' State Insurance Dispensary with which or from the Insurance Medical Practitioner with whom the employee is registered under the Scheme, shall be produced;

(iii) where by mutual agreement of employers and employees, a Medical Board exists for any establishment or a group of establishments, a certificate issued by such Medical Board may also be accepted for the purposes of this sub-paragraph.

(2) it shall be open to the Regional Commissioner to demand from the member a fresh certificate from a Civil Surgeon or any doctor acting on his behalf where the original certificate produced by him under clause (b) of sub-paragraph (1) gives rise to suspicion regarding its genuineness :

Provided that the entire fee of the Civil Surgeon or any doctor acting in his behalf shall be paid from the Fund in case the findings of the Civil Surgeon or any doctor acting on his behalf agree with the original certificate, and that where such doctor acting in his behalf agree with the original certificate, and that where such findings do not agree with the original certificate, only half of the fee shall be paid from the Fund and the remaining half shall be debited to the member's account.

(3) A member suffering from tuberculosis or leprosy or cancer, even if contracted after leaving the service of an establishment on grounds of illness but before payment has been authorised, shall be deemed to have been permanently and totally incapacitated for work.

(4) In respect of a member covered under a social security agreement entered into between the Government of India and any other country, on such grounds as may be specified in that agreement.

7. For paragraph 72, the following paragraph shall be substituted, namely :—

72. Payment of Provident Fund.—

(1) When the amount standing to the credit of a member becomes payable, it shall be the duty of the Commissioner to make prompt payment as provided in the Scheme.

(2) The due amount shall be payable to the member covered under a social security agreement entered into between the Government of India and any other country, in the manner and as per the terms specified in the agreement.

(3) In all the other cases, the amount due shall be payable to the credit of the payee's bank account in India.

8. After paragraph 78, the following paragraph shall be inserted, namely :—

78A. Performing certain special functions under social security agreements.—

The Commissioner shall perform all such functions as are assigned to the Employees' Provident Fund Organisation under a social security agreement entered into between by the Government of India and any other country, in the manner and as per the terms specified therein.

[F.No.R-11011/1/2007-SS-II (Vol-II)]

S. K. DEV VERMAN, Jt. Secy.

Footnote : The Employees' Provident Funds Scheme, 1952 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number S.R.O. 1506 dated 2nd September, 1952 and was last amended vide number G.S.R. 451(E) dated 29-6-2009.

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2010

सा.का.नि. 149.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 6क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इस स्कीम को कर्मचारी पेंशन (संशोधन) स्कीम, 2010 के नाम से जाना जाए ।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होगी ।

2. कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 में पैरा 43 क के लिए निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

43क. अंतर्राष्ट्रीय कर्मकारों के संबंध में विशेष उपबंध.–यह स्कीम, इस पैरा में यथापरिभाषित अंतर्राष्ट्रीय कर्मकारों के लिए निम्नलिखित संशोधनों के अध्यधीन लागू होगा, अर्थात् :–

(1) पैरा 2 के खण्ड (vii) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

(viii क) "अंतर्राष्ट्रीय कर्मकार" से निम्नलिखित अभिप्रेत है :–

(क) उक्त करार के अन्तर्गत कोई भारतीय कर्मचारी, जिसने उस बाह्य देश में कार्य किया हो अथवा कार्य करने जा रहा हो, जिसके साथ भारत ने सामाजिक सुरक्षा करार किया है और जो उस देश के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त पात्रता अथवा मिलने वाली पात्रता के आधार पर उन लाभों का हकदार हो,

(ख) भारतीय कर्मचारी से भिन्न कोई कर्मचारी, जिसके पास भारतीय पासपोर्ट से भिन्न कोई पासपोर्ट हो, भारत के उस प्रतिष्ठान में कार्यरत है जिसमें यह अधिनियम लागू हो ।

(2) पैरा 2 के खण्ड (XV) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

(XV) "पेंशन योग्य सेवा" से किसी "अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा करार के अंतर्गत आने वाले सदस्य द्वारा की गई सेवा, जिसके लिए अभिदाय प्राप्त हुए हैं अथवा प्राप्त होने योग्य हैं, और संबंधित सामाजिक सुरक्षा करार के तहत पात्र मानी गई सेवा की अवधि, अभिप्रेत है ।

(3) पैरा 3 के उप-पैरा (2), (3) और (4) को हटा दिया जाएगा ।

(4) पैरा 4 के उप-पैरा (2), के परन्तुक को हटा दिया जाएगा ।

(5) पैरा 10 के उप-पैरा (1) के लिए निम्नलिखित पैरा प्रतिथापित किया जाएगा, अर्थात् :–

(1) किसी सदस्य की पेंशन योग्य सेवा, जो अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा करार के अन्तर्गत शामिल है, को कर्मचारी पेंशन निधि में उसके हिस्से के प्राप्त अथवा प्राप्य अभिदाय के संदर्भ में अभिनिर्धारित की जाएगी :–

बशर्ते कि, अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा करार के अन्तर्गत शामिल पेंशन योग्य सेवा के निर्धारण के लिए संबंधित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के तहत की गई अवधि की सेवा को सिर्फ ऐसे किसी करार में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए उस उप-पैरा के अन्तर्गत पेंशन योग्य सेवा में जोड़ा जाएगा ।

(6) पैरा 11 के लिए निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

11 पेंशन योग्य सेवा का निर्धारण : पेंशन योग्य वेतन पीस रेट आधार पर किसी भी प्रकार से औसत आहरित मासिक वेतन सहित कर्मचारी पेंशन निधि की सदस्यता वाले अभिदाय की सेवा-अवधि के दौरान मानी जाएगी ।

(7) पैरा 14 के लिए निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

14. मासिक सदस्यता पेंशन के लिए पात्र होने से पूर्व सेवा छोड़ने के लाभ :–

कोई अंतर्राष्ट्रीय कर्मकार जिसे सामाजिक सुरक्षा के लिए भारत तथा अन्य देश के मध्य किए गए ऐसे करार के तहत विहित पैरा 9 में बाहर जाने की तिथि को की गई पात्रता सेवा अथवा 58 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो, उक्त सामाजिक सुरक्षा करार में प्रदत्त कुल लाभ का हकदार होगा;

बशर्ते कि यदि उक्त करार के उपबंधों के अन्तर्गत शामिल अंतर्राष्ट्रीय कर्मकार ने, उक्त करार में प्रदत्त कुल लाभ को शामिल करने के पश्चात् भी, पात्रता सेवा न पूरी की हो, तब ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कर्मकार तालिका 'घ' में यथा उल्लिखित आहरण लाभ का पात्र होगा ।

(8) पैरा 33 के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

बशर्ते कि इस स्कीम के अंतर्गत यदि लाभार्थी भारत एवं अन्य देश के मध्य हुए सामाजिक सुरक्षा संबंधी करार के अंतर्गत कवर किया गया है तो पेंशन तथा अन्य लाभ उक्त करार में इस स्कीम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निबंधन एवं शर्तों के अध्यधीन संवितरित किए जाएंगे ।

(9) पैरा 35 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

35क. सामाजिक सुरक्षा करार के तहत कतिपय कार्यों का निष्पादन.–आयुक्त, भारत सरकार एवं अन्य देश के मध्य हुए सामाजिक सुरक्षा सम्बंधी करार के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को सौंपे गए सभी कार्य इस स्कीम में विनिर्दिष्ट रीति में निबंधन एवं शर्तों के अनुसार करेगा ।

[फा. सं. आर-11011/1/2007-एसएस-II (खण्ड-II)]

एस. के. देव वर्मन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995, भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3 के उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. 748(अ), तारीख 16 नवम्बर, 1995 द्वारा प्रकाशित की गई थी और स्कीम में अंतिम संशोधन सा.का.नि. 594(अ) तारीख 21 अगस्त, 2009 द्वारा किया गया था ।

New Delhi, the 3rd September, 2010

G.S.R. 149.—In exercise of the powers conferred by section 6A, read with sub-section (1) of Section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Pension Scheme, 1995, namely :—

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Pension (Amendment) Scheme, 2010.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' Pension Scheme, 1995 for paragraph 43A, the following paragraph shall be substituted, namely :—

'43A. Special provisions in respect of International Workers.—The Scheme, shall, in its application to International Workers as defined in this paragraph, be subject to the following modifications, namely :

(1) After clause (vii) of paragraph 2, the following clause shall be inserted, namely :

(viiia) "International Worker" means,—

(a) an Indian employee having worked or going to work in a foreign country with which India has entered into a social security agreement and being eligible to avail the benefits under a social security programme of that country, by virtue of the eligibility gained or going to gain, under the said agreement;

(b) an employee other than an Indian employee, holding other than an Indian passport, working for an establishment in India to which the Act applies;

(2) For clause (xv) of paragraph 2, the following clause shall be substituted, namely :—

(xv) "pensionable service" means the service rendered by the member for which contributions have been received or are receivable and the period of coverage earned in another country and considered as eligible under a relevant social security agreement.

(3) Sub-paragraphs (2), (3) and (4) of paragraph 3 shall be omitted.

(4) Proviso to sub-paragraph (2) of paragraph 4 shall be omitted.

(5) For sub-paragraph (1) of paragraph 10, the following sub-paragraph shall be substituted, namely :

(1) The pensionable service of the member covered by an international social security agreement shall be determined with reference to the contributions received or are receivable on his behalf in the Employees' Pension Fund :

Provided that for the purposes of determining the pensionable service of a member covered by an international social security agreement, the period of service rendered under a relevant social security programme shall be added to the pensionable service under this sub-paragraph only for the purposes mentioned under such an agreement.

(6) For paragraph 11, the following paragraph shall be substituted, namely :—

11. Determination of pensionable salary.—The pensionable salary shall be the average monthly pay drawn in any manner including on piece-rate basis during the contributory period of service of the membership of the Employees' Pension Fund.

(7) For paragraph 14, the following paragraph shall be substituted, namely :

14. Benefits on leaving service before being eligible for monthly members' pension.—

An International Worker covered under a social security agreement entered into between India and another country who has not rendered the eligible service prescribed in paragraph 9 on the date of exit, or on attaining the age of 58 years, whichever is earlier, shall be entitled to a totalization benefit as may be provided in the said social security agreement:

Provided that if the International Worker covered under the provisions of the said agreement has not rendered the eligible service even after including the totalisation benefit as may be provided in the said agreement, then, such international worker shall be entitled to a withdrawal benefit as laid down under Table 'D'.

(8) After paragraph 33, the following proviso shall be inserted namely:-Provided that if the beneficiary under the Scheme is covered under a social security agreement between India and another country, the pension and other benefits under the scheme shall be disbursed in the manner and as per the terms and conditions specified in the said agreement.

(9) After paragraph 35, the following paragraph shall be inserted, namely :—

35A. Performing certain functions under the social security agreement.—

The Commissioner shall perform all such functions as are assigned to the Employees' Provident Fund Organisation under a social security agreement entered into between the Government of India and any other country, in a manner and as per the terms and conditions specified therein.

[F.No.R-11011/1/2007-SS-II (Vol. II)]

S. K. DEV VERMAN, Jt. Secy.

Footnote: The Employees' Pension Scheme, 1995 was published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section(i), *vide* number G.S.R. 748 (E), dated the 16th November, 1995 and the Scheme was last amended *vide* number G.S.R. 594(E) dated 21-8-2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.